न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 95/2022(2022/331)

1. पप्पू पुत्र श्री गंगाराम जाति रेगर निवासी देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. अजीजन पत्नी अब्दुल।
2. अल्लाबदी पत्नी जलालुदीन।
3. इकबाल पुत्र कमालुदीन।
4. इब्राहीम पुत्र कमालुदीन।
5. धापु पत्नी कमालुदीन।
   समस्त जाति मुसलमान निवासीगण देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. छीतर पुत्र सुखदेव जाति धाकड।
7. लाला पुत्र भूरा जाति धाकड।
8. बदाम पत्नी देवा जाति धाकड।
   निवासीगण निमेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।
9. श्रीमान राज. सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय केकडी।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री नोरतमल सांखला
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 7.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073—76** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
906—732	844 854	0.35 0.50	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	रकबा 0.85हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है तथा मोके पर पडौसियों को सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अन्देशा बना रहता है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को तोड देते है व पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.12.2021 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा फसाद करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। स्थाई पत्थरगढ़ी व

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में गण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश कर बताया कि पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही है पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित अराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवगांव तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 906–732 के खसरा संख्या 844, 854 के रकबा 0.35, 0.50हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner